

प्रेस नोट, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 25.10.2026,

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

जानलेवा हमले के मुकदमे में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, गुड्ड वरमा व सुरेश वरमा को थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम कल्याणपुर मौरहा में लखराव जाने वाले मार्ग पर मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2026 को वादी बृजेश वरमा के पिता हरिकेश वरमा निवासी ग्राम कल्याणपुर मौरहा (डड़वा), थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ पर पुरानी रंजिश को लेकर सुरेश वरमा पुत्र रामसुख व गुड्ड वरमा पुत्र बम्बू वरमा द्वारा कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया गया, जिससे वह मौके पर बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें बचाने पहुंचे वादी एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ भी विपक्षी पक्ष के लोगों द्वारा लाठी-डंडों से मारपीट एवं गाली-गलौज की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 269/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के अंतर्गत 04 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में था ना प्रभारी अन्तू श्री अभिषेक कुमार सिरौही के नेतृत्व में थाना अंतू के उ0नि0 रविन्द्र यादव मय हमराह का0 अंकित यादव, का0 आनन्द कुमार एवं का0 नीरज कुमार द्वारा क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम कल्याणपुर मौरहा में लखराव जाने वाले मार्ग पर मुर्गी फार्म के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तों 1. गुड्ड वरमा पुत्र बम्बू वरमा, उम्र करीब 26 वर्ष एवं 2. सुरेश वरमा पुत्र रामसुख वरमा, उम्र करीब 49 वर्ष, निवासीगण ग्राम कल्याणपुर मौरहा (डड़वा), थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी किशन सिंह के भट्टे पर ईंट पाथने वाले स्थल के पास पेड़ के नीचे झाड़ी से बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. गुड्ड वरमा पुत्र बम्बू वरमा, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम कल्याणपुर मौरहा (डड़वा), थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।
2. सुरेश वरमा पुत्र रामसुख वरमा, उम्र करीब 49 वर्ष, निवासी ग्राम कल्याणपुर मौरहा (डड़वा), थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रविन्द्र यादव, का0 अंकित यादव, का0 आनन्द कुमार, का0 नीरज कुमार, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

मारपीट एवं जानलेवा हमले के मुकदमे में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त लुकमान अली को थाना क्षेत्रांतर्गत इकडरिया मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.10.2026 को दोपहर करीब 03:00 बजे वादी दिनेश चौहान पुत्र सूबेदार सिंह अपने साथी के साथ सैफाबाद बाजार से मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। ग्राम दिदुई स्थित तालाब के पास पहले से घात लगाकर बैठे मुस्तफा उर्फ मोनू पुत्र लुकमान, तालिब पुत्र रफीक उर्फ घण्टी एवं 10 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को मोटरसाइकिल से गिराकर गाली-गलौज करते हुए लात-घूँसों एवं बेल्ट से मारपीट की गई। बीच-बचाव करने पर उसके साथी रोहित के साथ भी मारपीट की गई तथा वादी के सिर पर डंडे से प्रहार किया गया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। आरोप है कि मोबाइल पर स्टेटस लगाने की खुन्नस में घटना कारित कर दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 441/2026 पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 110 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 109(1)/3(5) बीएनएस की बढोतरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी पट्टी श्री प्रदीप

कुमार के नेतृत्व में उ०नि० उदयवीर सिंह मय हमराह का० लवकुश कुशवाहा एवं का० आनन्द कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 441/2026 धारा 3(5)/115 (2)/352/351 (3)/109 (1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त लुकमान अली पुत्र इसमाइल निवासी ग्राम ढिंदुई, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रांतर्गत इकडरिया मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त लुकमान अली ने बताया कि दिनांक 24.10.2026 को उसके गांव के दिनेश चौहान द्वारा मोबाइल पर दुर्गा पूजा विसर्जन का स्टेटस लगाए जाने को लेकर उसके पुत्र मोनू उर्फ मुस्तफा तथा तालिब पुत्र रफीक से विवाद हो गया था। बाद में जानकारी हुई कि दिनेश सैफाबाद से अकेले आ रहा है। इसी खुन्नस में वह गांव के कई लोगों, तालिब एवं अपने पुत्र मोनू उर्फ मुस्तफा के साथ नोही-सैफाबाद मार्ग पर सागर तालाब के पास घात लगाकर बैठ गया। दिनेश अपने साथी के साथ वहां पहुंचा तो उन लोगों ने उसे घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर खेतों में काम कर रहे लोगों के आने पर वे दिनेश को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए। अभियुक्त के अनुसार, मारपीट में प्रयुक्त डंडा उसका पुत्र मोनू उर्फ मुस्तफा अपने साथ ले गया था। मुकदमा दर्ज होने तथा पुलिस द्वारा तलाश किए जाने की जानकारी पर वह बचने के लिए बाहर भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. लुकमान अली पुत्र इसमाइल निवासी ग्राम ढिंदुई, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० उदयवीर सिंह मय हमराह, का० लवकुश कुशवाहा, का० आनन्द कुमार, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में नवाबगंज पुलिस को सफलता, चोरी की बाइक बरामद कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार

मु०अ०सं० 180/2026 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर विवेचना में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैश्य के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दिनांक 25.10.2026 को चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 25.10.2026 को उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह संजीव पाण्डेय द्वारा नवाबगंज अंडरपास पर संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर भिटारी मोड़ के पास से मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त रिहान पुत्र बबलू, निवासी ग्राम कालाकांकर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को पकड़ लिया गया। मोटरसाइकिल पर आगे-पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी थी। मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर को ई-चालान ऐप के माध्यम से चेक करने पर उसका पंजीकरण नंबर UP72BZ1593 एवं इंजन नंबर HA11E7RHD08057 ज्ञात हुआ। उक्त मोटरसाइकिल थाना नवाबगंज के मु0अ0सं0 180/2026 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी गई मोटरसाइकिल पाई गई।

पूछताछ एवं बरामदगी का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने दिनांक 20.10.2026 को ग्राम मंगली का पुरवा में नहर के पास से मोटरसाइकिल चोरी की थी। अभियुक्त ने बताया कि वह नशे की पूर्ति के लिए मोटरसाइकिल चोरी करता है तथा मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट फेंक दी थी। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त रिहान को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी की अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रिहान पुत्र बबलू, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम कालाकांकर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर प्लस, पंजीकरण संख्या UP72BZ1593।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मिथलेश कुमार

हमराह संजीव पाण्डेय

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 312/2026 से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अपहरण के मुकदमे में वांछित 01 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 312/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस से संबंधित नामजद अभियुक्त मनीष पटेल पुत्र संजय पटेल, निवासी ग्राम काजीपुर महाराजगंज, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 24/25.10.2026 की रात्रि में थाना कुण्डा पुलिस क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को कस्बा कुण्डा स्थित मेन चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़—

उ0नि0 चरन सिंह

हे0का0 रमेश कुमार

रि0का0 फजलुद्दीन

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं से संबंधित वाद में 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 25.10.2026 को उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह हे0का0 अजय यादव द्वारा ग्राम खरगपुर में दबिश देकर अभियुक्त अरबाज पुत्र नियाज, निवासी ग्राम खरगपुर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को अंतर्गत धारा 363/366/376(डी)

भा0द0वि0 एवं व 5 (G) 15(J)/2/5(L)/5(Q)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्त के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरबाज पुत्र नियाज, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम खरगपुर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सौरभ यादव

हे0का0 अजय यादव

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में कुल 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 25.10.2026 को उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजकुमार सिंह एवं का0 राजकिशोर यादव द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के दौरान ग्राम कोठार मंगोलपुर से निम्नलिखित 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया—

1. राजेश पासी पुत्र जोखू राम, निवासी ग्राम कोठार मंगोलपुर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़। मु0नं0 3049/20, अ0सं0 280/02 से संबंधित वारण्टी।
2. दयाराम पुत्र भुती चमार, निवासी ग्राम कोठार मंगोलपुर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़। मु0नं0 12647/20, अ0सं0 6/02 से संबंधित वारण्टी।

इसी क्रम में ग्राम तीना से निम्नलिखित 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया—

3. शिवशंकर पुत्र रामसुफल, निवासी ग्राम तीना, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़। मु०नं० 433/20, अ०सं० 323/325/506 भादवि से संबंधित वारण्टी।

4. राबरन पुत्र रामसुफल, निवासी ग्राम तीना, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़। मु०नं० 433/20, अ०सं० 323/325/506 भादवि से संबंधित वारण्टी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह हे०का० राजकुमार सिंह, का० राजकिशोर यादव, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

मिशन शक्ति टीम की तत्परता से गुमशुदा किशोरी सकुशल बरामद, परिजनों को किया गया सुपुर्द

आज दिनांक 25.10.2026 को थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति प्रभारी महिला उपनिरीक्षक कंचनलता एवं महिला कांस्टेबल कीर्ति सिंह द्वारा आवेदिका निवासी पूरे पितई, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ के प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही की गई।

आवेदिका द्वारा बताया गया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री बिना किसी को बताए कहीं चली गई है। सूचना पर मिशन शक्ति टीम द्वारा तत्काल जांच एवं आवश्यक प्रयास करते हुए किशोरी को सकुशल बरामद कर उसकी माता के सुपुर्द किया गया।

पुलिस टीम-

महिला उ०नि० कंचनलता, मिशन शक्ति प्रभारी

महिला कांस्टेबल कीर्ति सिंह

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।